प्रेषक,

दीनानाथ,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय -मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत **जनपद-रामपुर** के वि0ख0-बिलासपुर, सैदनगर, चमरौआ, स्वार, शाहाबाद में **एवं जनपद-पीलीभीत** के वि0ख0-अमरिया, वि0ख0-पूरनपुर **तथा जनपद-आजमगढ़** के विकास खण्ड-सठियांव में पेयजल आपूर्ति योजना हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/427/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 26.03.2018 द्वारा उक्त पेयजल आपूर्ति योजना हेतु कुल लागत रू० 9263.39 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **उ०प्र० जल निगम, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू० 4631.705 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू० 2315.8475 लाख (रू० तेईस करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार सात सौ पचास मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू० 2315.8475 लाख (रू० तेईस करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार सात सौ पचास मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 4631.695 लाख (रू० छियालीस करोड़ इकत्तीस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखा शीर्षक-4235-02-800-01-0117-24 में प्राविधानित मूल बजट रू० 1000.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न लेखा शीर्षकों में से पुनर्विनियोग द्वारा व्यवस्था की गयी धनराशि कुल रू० 12501.11 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	अनुपात	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त **प्रथम किश्त**		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	**रामपुर**	वि0ख0-बिलासपुर के महुनागर में पेयजलआपूर्ति योजना	50:50	01	384.83	192.415	192.415	384.83	96.2075	96.2075	192.415

handpump

http://shasanadesh.up.nic.in

2	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के महतोष में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	239.08	119.54	119.54	239.08	59.77	59.77	119.54
3	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के धावनी हसनपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	306.08	153.04	153.04	306.08	76.52	76.52	153.04
4	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के भैंसिया ज्वालापुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	285.25	142.625	142.625	285.25	71.3125	71.3125	142.625
5	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के पिपलिया गोपाल में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	298.14	149.07	149.07	298.14	74.535	74.535	149.07
6	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के खौदलपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	258.19	129.095	129.095	258.19	64.5475	64.5475	129.095
7	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के मुडियाकलां में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	150.75	75.375	75.375	150.75	37.6875	37.6875	75.375
8	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के मुडियाखुर्द में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	173.19	86.595	86.595	173.19	43.2975	43.2975	86.595
9	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के अम्बरपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	160.38	80.19	80.19	160.38	40.095	40.095	80.19

http://shasanadesh.up.nic.in

10	रामपुर	वि0ख0- बिलासपुर के मानपुर ओझा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	378.98	189.49	189.49	378.98	94.745	94.745	189.49
11	रामपुर	वि0ख0- बिलासपुर के रतनपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	147.51	73.755	73.755	147.51	36.8775	36.8775	73.755
12	रामपुर	वि0ख0- बिलासपुर के शिवनगर निकट रामनगर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	199.61	99.805	99.805	199.61	49.9025	49.9025	99.805
13	रामपुर	वि0ख0- बिलासपुर के मुल्लाखेड़ा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	257.31	128.655	128.655	257.31	64.3275	64.3275	128.655
14	रामपुर	वि0ख0- बिलासपुर के हजरतपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	195.43	97.715	97.715	195.43	48.8575	48.8575	97.715
15	रामपुर	वि0ख0- बिलासपुर के चकफेरी में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	208.00	104.00	104.00	208.00	52.00	52.00	104.00
16	रामपुर	वि0ख0- बिलासपुर के बेगमाबाद में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	234.55	117.275	117.275	234.55	58.6375	58.6375	117.275
17	रामपुर	वि0ख0- बिलासपुर के पिपलिया मिश्र में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	160.27	80.135	80.135	160.27	40.0675	40.0675	80.135

http://shasanadesh.up.nic.in

18	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के खंण्डिया में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	160.99	80.495	80.495	160.99	40.2475	40.2475	80.495
19	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के डंडिया नियामतगंज में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	212.54	106.27	106.27	212.54	53.135	53.135	106.27
20	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के लखीमपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	162.05	81.025	81.025	162.05	40.5125	40.5125	81.025
21	रामपुर	वि0ख0-बिलासपुर के अलीपुर ठेका में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	190.87	95.435	95.435	190.87	47.7175	47.7175	95.435
22	रामपुर	वि0ख0-सैदनगर के खंडिया में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	252.63	126.315	126.315	252.63	63.1575	63.1575	126.315
23	रामपुर	वि0ख0-चमरौआ के कोयला में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	375.00	187.50	187.50	375.00	93.75	93.75	187.50
24	रामपुर	वि0ख0-चमरौआ के नौगवां में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	255.75	127.875	127.875	255.75	63.9375	63.9375	127.875
25	रामपुर	वि0ख0-चमरौआ के जुठिया में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	266.64	133.32	133.32	266.64	66.66	66.66	133.32
26	रामपुर	वि0ख0-स्वार के मुकर्रमपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	184.85	92.425	92.425	184.85	46.2125	46.2125	92.425

handpump

http://shasanadesh.up.nic.in

27	रामपुर	वि0ख0-स्वार के देवीपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	218.25	109.125	109.125	218.25	54.5625	54.5625	109.125
28	रामपुर	वि0ख0-शाहाबाद के सगरपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	228.34	114.17	114.17	228.34	57.085	57.085	114.17
29	रामपुर	वि0ख0-शाहाबाद के बड़ागांव में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	227.77	113.885	113.885	227.77	56.9425	56.9425	113.885
30	रामपुर	वि0ख0-शाहाबाद के हिम्मतपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	259.64	129.82	129.82	259.64	64.91	64.91	129.82
31	रामपुर	वि0ख0-शाहाबाद के रवाना में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	189.20	94.60	94.60	189.20	47.30	47.30	94.60
32	**पीलीभीत**	वि0ख0-अमरिया के अमखेड़ा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	165.07	82.54	82.54	165.07	41.2675	41.2675	82.535
33	पीलीभीत	वि0ख0-अमरिया के डांग में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	166.17	83.09	83.09	166.17	41.5425	41.5425	83.085
34	पीलीभीत	वि0ख0-अमरिया के खमडिया दलेलगंज में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	208.86	104.43	104.43	208.86	52.215	52.215	104.43
35	पीलीभीत	वि0ख0-अमरिया के उदयपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	217.13	108.565	108.565	217.13	54.2825	54.2825	108.565

handpump

http://shasanadesh.up.nic.in

36	पीलीभीत	वि0ख0- अमरिया के कंचूटांडा में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	250.01	125.005	125.005	250.01	62.5025	62.5025	125.005
37	पीलीभीत	वि0ख0- पूरनपुर के मथनाजट्टी में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	331.58	165.79	165.79	331.58	82.895	82.895	165.79
38	पीलीभीत	वि0ख0- पूरनपुर के सिकरहना में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	194.20	97.10	97.10	194.20	48.55	48.55	97.10
39	पीलीभीत	वि0ख0- पूरनपुर के दुर्जनपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	263.84	131.92	131.92	263.84	65.96	65.96	131.92
40	**आजमगढ़**	वि0ख0- सठियांव के आदमपुर में पेयजल आपूर्ति योजना	50:50	01	244.46	122.23	122.23	244.46	61.115	61.115	122.23
		योग		**40**	**9263.39**	**4631.705**	**4631.705**	**9263.39**	**2315.8475**	**2315.8475**	**4631.695**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग 06 माह में कर लिया जाय। धनराशि का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इससे विचलन की दशा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा पेयजल आपूर्ति योजना को करने वाली कार्यदायी संस्था/ योजना से सम्बन्धित मूल विभाग के अधिकारी उत्तरदायी होंगे। व्यय से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत धनराशि इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो

http://shasanadesh.up.nic.in

अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर- ही किया जायेगा इस सम्बन्ध में सम्पादित त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा ।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- जिलाधिकारी द्वारा व्यय की गयी धनराशि का हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की दो-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी।

8- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

9- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जाएगा।

10- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आहरण एवं वितरण आधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

11- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यवाही संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय।कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

12- पेयजल योजना से सम्बन्धित स्थलों पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी स्थापित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित जायेगा।

13- उपरोक्त कार्य के बारे में प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

15- आहरित कर पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी ।

16- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिस मद/कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

17- शासनादेश दिनांक 26-8-2014 एवं 03 अगस्त 2017 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

18- लेबरसेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

19- भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.03.2017 एवं 31.03.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

20- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 50/रा0 50-के०-रा०)-24**-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

21- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-543/दस-2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी0एम0-9 प्रपत्र(छायाप्रति)

भवदीय,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

संख्या- पी0-28(1)/बावन-4-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत **जनपद- रामपुर, पीलीभीत एवं आजमगढ़** में **पेयजल आपूर्ति योजनाओं** के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० जल निगम, लि० लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से **जनपद-रामपुर** के वि0ख0-बिलासपुर, सैदनगर, चमरौआ, स्वार, शाहाबाद में **एवं जनपद-पीलीभीत** के वि0ख0-अमरिया, वि0ख0-पूरनपुर **तथा जनपद-आजमगढ़** के विकास खण्ड-सठियांव में पेयजल आपूर्ति योजना को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-**रामपुर, पीलीभीत एवं आजमगढ़ ।**

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त(आय-व्ययक)अनु०-1 को तीन स्वच्छ प्रति।

11- अनुभाग अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-1

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in